

## राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 23 जनवरी, 2012/3 माघ 1933

#### हिमाचल प्रदेश सरकार

#### पंचायती राज विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-171009, 19 जनवरी, 2012

संख्या पी.सी.एच.—एच.ए.(1) 11/2011.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के लिए, निम्नलिखित रीति में अधिसूचित करती हैं, अर्थात :—

- 1. जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण और उनके प्रमाण-पत्र जारी करना :
  - पदाभिहित अधिकारी : पंचायत सचित / ग्राम पंचायत का पंचायत सहायक।
  - प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक।
  - द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग।
  - ▶ नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव / सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य कर्तव्य मान (नियत कार्य) के कारण कार्यालय से दूर हो, तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।

### 🗲 जन्म एवं मृत्यु के रिजस्ट्रीकरण के लिए पूर्वापेक्षा :

रजिस्ट्रार अर्थात् पंचायत सचिव / पंचायत सहायक को दी जाने वाली सूचना :-

- किसी घर में जन्म एवं मृत्यु की बाबत, घर के मुखिया द्वारा।
- किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, मातृत्व या नर्सिंग गृह और उसी प्रकार के अन्य संस्थानों में जन्म एवं मृत्यु की बाबत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा।
- किसी नवजात शिशु या किसी सार्वजनिक स्थान पर लावारिस पड़े शव की बाबत गांव की दशा में गांव के मुखिया अथवा गांव के किसी अन्य तत्स्थानी अधिकारी द्वारा और कहीं अन्यथा स्थानीय पुलिस थाना / स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा।
- रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रिजस्ट्रीकरण नियम, 2003 (प्रतिलिपि उपाबन्ध—क से ग पर संलग्न है) से संलग्न प्ररूप 1, 2 और 3 पर / में की जाएगी।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रिजस्ट्रार को मौखिक रूप से कोई सूचना दी है, उसके नाम के सामने रिजस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा अथवा अपने अंगूठे का निशान लगाएगा।

#### जन्म एवं मृत्यु प्रमाण—पत्र जारी करने की प्रक्रिया :— सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन द्वारा मांग पर अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा।

#### प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप :-

हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 (प्रतिलिपि क्रमशः उपाबन्ध— घ एवं ङ पर संलग्न है) से संलग्न प्ररूप—5 पर जन्म प्रमाण—पत्र और प्ररूप—6 पर मृत्यु प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा।

#### > फीस:

#### रजिस्ट्रीकरण के लिए

•	21 दिन के भीतर	– कोई फीस नहीं
•	21 दिन के पश्चात् और 30 दिन के भीतर	<b>-₹</b> 2/=
•	30 दिन के पश्चात् और 1 वर्ष के भीतर	<b>-₹</b> 5/=
•	1 वर्ष के पश्चात्	<i>-</i> ₹ 10 /=

#### प्रमाण-पत्र और अन्य विशिष्टियों के लिए

•	जन्म और मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए	<b>-₹</b> 2/=
•	प्रथम वर्ष के लिए प्रविष्टि की संवीक्षा हेतु	<b>-₹</b> 2/=
•	प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए प्रविष्टि की संवीक्षा हेतु	<b>-₹</b> 2/=

#### 2. विवाहों का रजिस्ट्रीकरण और उनके प्रमाण-पत्रों को जारी करना।

- पदाभिहित अधिकारी : ग्राम पंचायत का पंचायत सचित / पंचायत सहायक ।
- प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक।
- द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग।
- े नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव / सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य नियत कार्य के कारण कार्यालय में / से अनुपस्थित / दूर हों तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।

#### विवाह रिजस्ट्रीकरण के लिए पूर्वापेक्षा :

- विवाह के पक्षकार या उनके पिता अथवा संरक्षक विवाह के हस्ताक्षरित ज्ञापन / विवरण की दो प्रतियां रिजस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे (प्रतिलिपि उपाबन्ध—च पर संलग्न है)।
- रजिस्ट्रार उसे विवाह रजिस्टर में दाखिल करेगा और उसकी दो प्रतियां विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार अर्थात् निदेशक, सामाजिक न्याय विभाग को भेज देगा।
- प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया |-सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन द्वारा मांग पर।
- प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप।
  हिमाचल प्रदेश विवाह का रिजस्ट्रीकरण नियम, 2004 (उपाबन्ध-'छ') पर प्रति संलग्न है) से संलग्न

प्ररूप-III पर जारी होगा।

≻ फीस:

रजिस्ट्रीकरण के लिए

30 दिन के भीतर
 ₹ 5/=

30 दिन के पश्चात् और 90 दिन के भीतर
 ₹ 10/=

90 दिन के पश्चात् और 1 वर्ष के भीतर
 ₹ 50 /=

1 वर्ष के पश्चात्
 ₹ 50 /=

प्रमाण-पत्र और अन्य विशिष्टियों के लिए

रिजस्टर के निरीक्षण और प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति
 ऱ्राप्त करने के लिए

विवाह प्रमाण–पत्र के लिए
 ₹ 10 /=

#### 3. परिवार रजिस्टर सहित पंचायत अभिलेख की प्रति का जारी किया जाना :

- पदाभिहित अधिकारी : ग्राम पंचायत का पंचायत सचित / पंचायत सहायक
- प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक।
- द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग।
- नियत समय सीमा : ग्राम पंचायत के कार्यालय में अभिलेख की उपलब्धता के अध्यधीन पांच दिन के भीतर।
- ▶ परिवार रिजस्टर सिंहत पंचायत अभिलेख की प्रति जारी किए जाने हेतु पूर्वापेक्षा : निम्नलिखित की प्रतिलिपियां दी जा सकती है:-
- समस्त पट्टे, करार, आलेख।
- पंचायत या इसके अधिकारी द्वारा किसी भी मामले में पारित किए गए अंतिम आदेश।
- परिवार रिजस्टर की प्रविष्टियां
   आवेदनकर्ता को अभिलेख की प्रति इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी कि अभिलेख किसी अन्वेषण अभिकरण या न्यायालय के अभिरक्षण में नहीं है।
- परिवार रिजस्टर सिहत पंचायत अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया : सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन द्वारा मांग पर अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् अभिलेख की प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी।
- परिवार रिजस्टर सहित पंचायत अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए प्ररूप : अभिलेख की मूल प्रति।
- फीस :

आवेदन के साथ−साथ
 ₹ 2 /=

प्रत्येक पृष्ट या उसके भाग के लिए
 ₹ 3/= की दर से कॉपिंग (प्रतिलिपि) फीस।

#### 4. बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र को जारी करना :

- पदाभिहित अधिकारी : प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर के साथ ग्राम पंचायत का पंचायत सचित / पंचायत सहायक।
- प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक।
- द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग।
- े नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव / सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य नियत कार्य के कारण कार्यालय में / से अनुपस्थित / दूर हों तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।
- 🕨 बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्वापेक्षा :

बी.पी.एल. की अनुमोदित सूची में नाम होना चाहिए।

प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया : सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन द्वारा मांग पर अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् बी.पी.एल. प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

- प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप :
- 🕨 बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र का प्ररूप उपाबन्ध-'ज' पर संलग्न है।
- > फीस:

बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है।

- 5. लघु वन—उत्पाद (एम एफ पी) के लिए ट्रांसिट परिमट (अनुज्ञा—पत्र) हेतु आवेदनों की प्रक्रिया और निपटाराः
  - पदाभिहित अधिकारी : ग्राम पंचायत का प्रधान।
  - प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक।
  - द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग।
  - नियत समय सीमा : क्षेत्र के वनरक्षक की अनुशंसा / सिफारिश प्राप्त होने के पाश्चात् 24 घण्टें के भीतर।
  - 🕨 लघु वन-उत्पाद के लिए ट्रांसिट अनुज्ञा-पत्र (परिमट) के जारी करने हेतु पूर्वापेक्षा :
  - व्यक्ति द्वारा आवेदन।
  - क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा यह सत्यापित किए जाने के पश्चात् कि प्रजातियों को निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यह कि अनुमोदित निकासी चक्र द्वारा विहित क्षेत्र से प्रजातियों को निष्कर्षित किया गया है और यह कि निकासी एक स्थायी रीति में की गई है और उससे कोई परिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय क्षति नहीं हुई है।
  - लघु वन उत्पाद के लिए ट्रांसिट अनुज्ञा—पत्र (परिमट) प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया : सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा मांग पर।
  - नियात के लिए ट्रांसिट अनुज्ञा—पत्र जारी करने के लिए प्ररूप : हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद ट्रांसिट (लैंड रूट्स) नियम, 1978 से संलग्न अनुलग्नक—II निर्यात अनुज्ञा पत्र का प्ररूप नियमों के अधीन विहित है प्रति (उपाबन्ध—'झ') पर संलग्न है।
  - फीस :

वन विभाग की अधिसूचना संख्या : एफएफई—बी—जी (9)—9 / 94—प्,तारीख 28 फरवरी, 2003 से संलग्न उपाबन्ध—च के अनुसार 37 प्रजातियों के लिए (प्रतिलिपि उपाबन्ध—ञ पर संलग्न हैं)।

- 6. राशन कार्ड को जारी करना
  - **पदाभिहित अधिकारी** : प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर के साथ ग्राम पंचायत का पंचायत सचित / पंचायत सहायक।
  - प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक।
  - द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग।
  - े नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव / सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य नियत कार्य के कारण कार्यालय में / से अनुपस्थित / दूर हों तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।
  - > राशन कार्ड जारी करने के लिए पूर्वापेक्षा :
  - किसी परिवार की बाबत उपभोक्ता कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम ही जारी किया जाएगा।
  - "परिवार" से एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का एक संयुक्त परिवार अभिप्रेत है जो पंचायत के परिवार रिजस्टर में यथादर्शित एक साथ रहता हो, पूजा करता हो और साथ खाना खाता हो परन्तु अपने व्यवसाय / कारबार के कारण कहीं और निर्वसित व्यक्ति, उपभोक्ता कार्ड के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए परिवार में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।
  - जब कोई कार्ड धारक वितरण क्षेत्र को छोड़ देता है तो वह कार्ड को ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करा देगा और नए स्थान पर कार्ड के जारी होने की सुगमता हेतु आवश्यक समर्पण प्रमाण—पत्र प्राप्त करेगा
  - परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ौतरी / कटौती के सम्बन्ध में सूचित करना अनिवार्य है।
  - किसी अन्य राज्य/नगर/शहर/गांव से आने वाले व्यक्तियों को, पूर्ववर्ती कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी निरस्त/हस्तांतरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

- सरकारी कर्मचारियों की दशा में आवेदन विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने अपेक्षित है।
- यदि उपभौक्ता कार्ड गुम हो जाता है, दुष्कृत या खराब हो जाता है तो अन्वेषण के पश्चात् डुप्लीकेट कार्ड ₹ 10 /= की दुगुनी फीस के साथ आवेदन पर जारी किया जाएगा।
- राशन कार्ड जारी किए जाने के लिए प्रक्रिया : राशन कार्ड, सम्बद्ध व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 से संलग्न प्ररूप 'च' पर आवेदन द्वारा मांग पर, अभिलेख से सत्यापन के पश्चात जारी किया जाएगा।
- 🕨 राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु प्ररूप :

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 के साथ संलग्न प्ररूप—'च' पर आवेदन (प्रति उपाबन्ध—'ट' पर संलग्न है)।

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 के साथ संलग्न प्ररूप—'छ पर'राशन कार्ड की प्रति (प्रति उपाबन्ध—'ठ' पर संलग्न है)।

फीस :

प्रथम बार के लिए

₹ 5/=

• ड्रप्लीकेट कार्ड के लिए

:₹ 30 /=

#### टिप्पण :-

- पदाभिहित अधिकारी आवेदन की प्राप्ति की पावती भेजेगा और यदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं तो जो व्यक्ति आवेदन प्राप्त कर रहा है वह किसी समय सीमा के बिना उसे पावती में उल्लिखित करेगा।
- ii) जहां आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो आवेदन प्राप्त कर रहा व्यक्ति समय सीमा का उल्लेख करेगा जिसके भीतर वांछित सेवा(ओं) का निपटारा किया जाएगा।
- iii) सेवा (ओं) को प्रदान करने हेतु नियत समय सीमा के भीतर पड़ने वाले राजकीय अवकाश को आवेदन के निपटारे के लिए समय की संगणना के लिए अपवर्जित किर दिया जाएगा।
- iv) पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं की सूचना को उसके कार्यालय की सरकारी / शासकीय वैबसाईट के साथ—साथ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 से संलग्न प्रपत्र—I में किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थापित कार्यालय के सूचना—पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर जन साघारण की सुविधा के लिए प्रदर्शित करवाएगा (प्रति उपाबन्ध—'ड' पर संलग्न है)।
- v) पदाभिहित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 से संलग्न प्ररूप—प्य अनुरक्षित रजिस्टर में प्राप्त आवेदन के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा (प्रति उपाबन्ध—''ढ'' पर संलग्न है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – प्रधान सचिव (पंचायती राज)। [Authoritative English text of this Department Notification No.PCH- HA (1) 11/2011-, dated 19th January, 2012 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

#### PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Shimla-9, the 19th January, 2012

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the Stipulated Time Limits for the purposes of the above Act in the following manner for the Department of Panchayati Raj, Himachal Pradesh:-

- 1. Registration of Births and Deaths and issuance of certificates thereof:
  - **Designated Officer:** Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat.
  - First appellate authority: Panchayat Inspector of the concerned Development Block.
  - > Second appellate authority : State Information Commission.
  - > Stipulated time limits: Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.
  - > Pre-requisite for registration of births and deaths:

Information to be given to the Registrar i.e. Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak:-

- in respect of births and deaths in a house by the Head of the house.
- in respect of births and deaths in hospital, health centre, maternity or nursing home or other like institutions by the MO in charge.
- in respect of any new born child or dead body found deserted in a public place, by the headman or other corresponding officer of the village in case of a village and by the officer in charge of the local police station elsewhere
- Report to be made on Forms 1,2 and 3 appended to the Himachal Pradesh Registration of Birth & Death Rules, 2003 (Copy enclosed at Annexure-A to C)
- Every person who has orally given to the Registrar any information shall sign or put his thumb mark in the register against his name.
- ➤ Process for issuing birth and death certificate: The certificate shall be issued on demand by application from the concerned individual after verification from the record.
- ➤ Form for issue of certificate: Birth certificate on Form-5 and death certificate on Form-6 appended to the Himachal Pradesh Registration of Birth and Death Rules, 2003 (copy enclosed at Annexure-D & E respectively)
- > Fee:

#### For registration

- No fee within 21 days
- Rs.2 after 21 days and within 30 days
- Rs.5 after 30 days and within 1 year
- Rs.10 after 1 year

#### For certificate and other particulars

- Rs.2 for issue of birth and death certificate
- Rs.2 for scrutinizing the entry for the first year
- Rs.2 for scrutinizing the entry for the each of the subsequent year
- 2. Registration of Marriages and issuance of certificates thereof:
  - **Designated Officer:** Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat.
  - First appellate authority: Panchayat Inspector of the concerned Development Block.
  - **Second appellate authority:** State Information Commission.

> Stipulated time limits: Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.

#### > Pre-requisite for registration of marriage:

- Parties to a marriage or their fathers or guardians shall submit signed memorandum of marriages in duplicate to the Registrar (Copy enclosed at Annexure-F)
- Registrar shall file the same in the marriage register and send duplicate copy to the Chief Registrar of the marriages i.e. Director of Social Justice Department.
- > Process for obtaining certificate:

On demand by application from the concerned individual.

#### > Form for issue of certificate:

Form-III appended to the Himachal Pradesh Registration of Marriages Rules, 2004 (Copy enclosed at Annexure-G)

> Fee:

#### For registration

- Rs.5 fee within 30 days
- Rs.10 after 30 days and within 90 days
- Rs.50 after 90 days and within 1 year
- Rs.50 after 1 year

#### For certificate and other particulars

- Rs.10 for inspection of register and obtaining the certified copy of the entry
- Rs.10 for marriage certificate

#### 3. Issuance of Copy of Panchayat record including Pariwar Register:

- **Designated Officer :** Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat.
- First appellate authority: Panchayat Inspector of the concerned Development Block.
- > Second appellate authority : State Information Commission.
- > Stipulated time limits: Within five days subject to the availability of record in the office of the Gram Panchayat.

## > Pre-requisite for issuance of Copy of Panchayat record including Pariwar Register: Copies of following can be given:-

- All leases, agreement, resolution
- Final order passed by the Panchayat or its officer or any matter
- Entries of Pariwar register

The copy of record shall be made available to the applicant subject to the condition that the record is not in the custody of any investigating agency or Court.

#### > Process for obtaining Copy of Panchayat record including Pariwar Register:

The copy of record shall be provided on demand by application from the concerned individual after verification from the record.

#### Form for obtaining Copy of Panchayat record including Pariwar Register:

True copy of the record.

- > Fee:
- Rs.2 accompanied with application
- Copying fee at the rate of Rs.3 for every page or part thereof

#### 4. Issuance of BPL Certificate:

- **Designated Officer:** Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat with counter signature of Pradhan.
- First appellate authority: Panchayat Inspector of the concerned Development Block.
- **Second appellate authority :** State Information Commission.
- > Stipulated time limits: Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.

#### > Pre-requisite for issuing of BPL Certificate:

Name should be in the approved list of BPL.

#### > Process for obtaining certificate:

The BPL Certificate shall be provided on demand by application from the concerned individual after verification from the record.

#### > Form for issue of certificate:

Form of BPL Certificate enclosed at Annexure-H.

#### > Fee:

BPL Certificate is provided free of cost.

## 5. Processing and disposing off the applications for transit permit for Minor Forest Produce (MFP):

- **Designated Officer :** Pradhan of Gram Panchayat.
- First appellate authority: Panchayat Inspector of the concerned Development Block.
- **Second appellate authority :** State Information Commission.
- > Stipulated time limits: Within 24 hours after receiving the recommendations of the Forest Guard of the area.

#### **▶** Pre-requisite for issue of transit permit for Minor Forest Produce:

- Application by the individual
- Recommendations by the forest guard of the area after verifying that the species are not banned for export and that the species are extracted from the prescribed area in the approved extraction cycle and that the extraction has been done in a sustainable manner and has not caused any ecological and environmental damage.

#### > Process for obtaining transit permit for Minor Forest Produce:

On demand by the concerned individual.

#### **>** Form for issue transit permit for Minor Forest Produce:

Appendix-II appended to the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routs) Rules, 1978 form of export permit prescribed under rules (copy enclosed at Annexure-I).

#### > Fee:

As per Annexure-F annexed to the Forest Department Notification No.FFE-B-G(9)- 9/94-II, dated 28th February, 2003 for 37 species (copy enclosed at Annexure- J).

#### 6. Issue of Ration card:

- ➤ **Designated Officer**: Panchayat Secretary/Panchayat Sahayak of Gram Panchayat with counter signature of Pradhan.
- First appellate authority: Panchayat Inspector of the concerned Development Block.
- **Second appellate authority:** State Information Commission.
- > Stipulated time limits: Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.

#### > Pre-requisite for issuing of Ration Card:

- The consumer card in respect of a family shall be issued in the name of head of the family only.
- "Family" means a joint family of all persons descended from common ancestor who live, worship and mess together permanently as shown in the Pariwar Register of the Panchayat but persons residing elsewhere due to their profession/business shall not be included in the family for the purpose of issue of consumer card
- When a card holder leaves the distribution area he/she shall deposit the card in the office of the Gram Panchayat and obtain necessary surrender certificate to facilitate issuance of card at the new place
- It is necessary to intimate about the increase or decrease in the number of family members.
- The persons coming from other State/City/Town/Village, should attach cancellation/ migration certificate issued by the previous card issuing authority

- In the case of Government servants the application is required to be certified by the Head of office
- If the consumer card has been lost, defaced or damaged the duplicate card, after inquiry, shall be issued on the application accompanied with double of the fee of Rs.10

#### > Process for issuing Ration Card:

The Ration Card shall be issued on demand by application on Form-F appended to the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 from the concerned individual after verification from the record.

#### > Form for issue of Ration Card:

- Application on Form-F appended to the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 (copy enclosed at Annexure-K).
- Copy of Ration Card on Form-G appended to the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 (copy enclosed at Annexure-L).

#### > Fee:

- Rs. 5 for first time.
- Rs.10 for duplicate card.

#### Note:-

- i. The designated officer shall acknowledge the receipt of the application and if necessary document have not been attached, the person receiving the application shall mention the same in the acknowledgement without any time limit.
- ii. Where the application is complete in all respect the person receiving the application shall mention the time limit within which the service(s) sought for shall be disposed of.
- iii. The public holidays following within the stipulated time limit to dispose of the application for providing of service(s) shall be excluded for the computation of time.
- iv. The designated officer shall cause to exhibit information of the services to be provided on the official website of his office as well as on the notice board of the office installed at a conspicuous place in Form-1 appended to the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Rules, 2011 for the convenience of general public (copy enclosed at Annexure-M).
- v. The designated officer shall maintain the records of application received in register maintained in Form-II appended to the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Rules, 2011 (copy enclosed at Annexure-N)

#### Annexure-A

#### Form No. 1 (See Rule 5 of Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003) BIRTH REPORT FORM BIRTH REPORT

Legal Information This part to be added to the Birth	Statistical information This part to be detached and sent for		In the case of multiple
Register. To be filed by the informant.  1. Date of Birth (Enter the exact	To be filed by the informant  9. Town or village of Residence of the	To be filed by the informant  15. Age of mother: (in	birth, fill in a separate form for each child
day, month and year the child was born e.g. 1-1-2000)	mother (Place where the mother usually lives. This can be different from the place to where the delivery occurred. The house address is not required to be entered):	completed years) at the time of marriage (if married than once age at first marriage may be entered)	and write "Twin birth" or "Triple birth" etc.as
2. Sex (Enter "male or female"; do not use abbreviation)	(a) Name of Town/Village: (b) Is it a Town or Village: (Tick the appropriate entry below):	16. Age of the mother: (in completed years) at the time of this birth	the case may be, in the remarks
3. Name of the child if any : (if not named, leave blank)	(1) Town (2) Village (c) Name of District : (d) Name of State :	17. Number of children born alive to the mother so far including this child: (Number of children born alive to include also those from earlier marriage(s), if any)	column in the box below left.
4. Name of father :	10 Religion of the family (tick the	18.Type of attention at delivery:	
(Full name as usually written)	appropriate entry below): 1. Hindu 2. Muslim 3. Christian 4. Sikh 5. Any other religion (write name of the religion):	(Tick the appropriate entry below) Institutional: (1) Government	
5. Name of mother :	11. Father's level of education :	(2) Private or Non-	
(Full name as usually written)	(Enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class VI, write class VI)	Government Residential: (3) Doctor, Nurse or trained midwife	
		(4) Traditional Birth Attendant (5) Relative or others	
6. Permanent Address:	12. Mother's level of education : (Enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed	19. Method of delivery: (Tick the appropriate entry below) (1) Normal	
7. Place of birth: (Tick the appropriate entry 1 or 2 below and give the name of the Hospital/institution or the address of the house where the birth took place)	only class VI, write class VI)	(2) Caesarean (3) Forceps/Vacuum	
(1) Hospital/Institution Name: (2) House Address:			
8. Informant's Name & Address:	13. Father's occupation: (If no occupation write 'nil')	20. Birth Weight (in kgs.) (if available)	
(after completing all columns 1 to 21 Informant will put date and Sign here):	14. Mother's occupation: (If no occupation write 'nil')	21. Duration of pregnancy (in weeks)	
Date: Signature or left thumb mark of the informant.		(Columns to be filled are over. Now put signature at left)	
To be filled by the Registrar Registration No.:	To be filled by the Registrar. Code No.	Registration No: Registration Date:	
Registration No.: Registration Date:	Name:	Date of Birth:	
Town/Village:	District:	Sex: 1. Male 2. Female	
District: Remarks (if any):	Tehsil: Town/Village:	Place of Birth: 1. Hospital/Institution	
	Registration Unit:	2. House	
Name and Signature of the Registrar		Name and Signature of the Registrar	

Annexure-B

## Form No. 2 (See Rule 5 of Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003) DEATH REPORT FORM DEATH REPORT

T 17.0 (	DEATH REPORT		T 4
Legal Information This part to be added to the death Register	Statistical information This part to be detached and sent for		In the case of
This part to be added to the death Register	statistical processing		multiple:
To be filled by the informant	To be filled by the informant	To be filled by informant	birth, fill
Date of Death (Enter the exact day, month)	9. Town or Village of Residence of the	13. Was the cause of death	in a
and year the death took place e.g.1-1-2000)	deceased: (Place where the deceased	medically certified ? (Tick the	separate
	actually lived. This can be differenct from	appropriate entry below)	form for
	the place where the death occurred. The		each child
	house address is not required to be	1. Yes 2. No	and write
	entered):		"Twin
	(a) Name of Town/Village:		birth" or
	(b) Is it a Town or Village (Tick the		"Triple birth"
	appropriate entry below): 1. Town 2. Village		etc.as the
	(c) Name of District		case may
	(d) Name of State		be, in the
2. Name of Deceased (Full name as usually	10. Religion (Tick the appropriate entry	14. Name the Disease or Actual	remarks
written):	below):	Cause of Death	column in
	1. Hindu 2. Muslim 3. Christian 4.	(For all deaths irrespective of	the box
	Sikh 5. Any other religion (write name	whether medically certified or	below left.
	of the religion)	not):	
3. Name of the father/husband	11. Occupation of the deceased: (If no	15 In case this is a female death, did the death occur while	
(Full name as usually written).	occupation write 'Nil')	pregnant, at the time of delivery or	
		within 6 weeks after the end of	
		pregnancy (Tick the appropriate	
		entry below):	
		(1) While pregnant	
		(2) At the time of delivery	
		(3) Within six weeks after the end	
4.0. 0.4.1. 1.75.4.5.12	10 T 6 1 1 4 4 1 1 1	of delivery	
4. Sex of the deceased (Enter 'male' or 'female'), do not use abbreviation.	12. Type of medical attention received	16. If used to habitually smoke, for	
iemale), do not use appreviation.	before death (Tick the appropriate entry	how many years ?	
	below):		
	(1) Institutional		
	(2) medical attention other than institution		
5 0 61 1/764 1 1	(3) No Medical attention	17 76 1 1 1 1 1	
5. Age of deceased (If the deceased was over		17. If used to habitually chew tobacco in any form, for how	
1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give		many years ?	
age in months, and if below 1 month give age		many years :	
in completed number of days, and if below			
one day, in hours):			
6. Permanent Address :		18. If used to habitually chew	
		areca nut in any form (including	
		pan masala), for how many years?	
<ol><li>Place of death (Tick the appropriate entry)</li></ol>		19 If used to habitually drink	
1,2 or 3 below and give the name of the		alcohol, for how many years?	
Hospital/ Institution or the address of the			
house where the death took place. If other			
place, give location):			
(1) Hospital/Institution Name:     (2) House Address:			
(2) House Address: (3) Other place:			
8. Informatnt's Name & Address:		(Columns to be filled are over.	
5. Information 5 Figure 60 Findings.		Now put signature at left).	
(After completing all columns 1 to 17,		paragrama a acary.	
informant will put date and signature here)			
Date:			
Signature or left thumb			
mark of the informant.			
To be filled by the Registrar	To be filled by the Registrar	Registration No.	
Registration No.:		Registation Date:	
Registration Date:	Name:	Sex.1.Male 2. Female	
Registration Unit:	Tehsil:	Date of Death:	
Town/Village:	Town/Village:	Age: Years/Months/Days/Hours	
District:	Registration Unit:	Place of Death: (1)	
Remarks (if any):		Hospital/Institution (2) House (3)	
Name and Signature of the Posistres		Other place Name and Signature of the	
Name and Signature of the Registrar			
		Registrar.	

Annexure-C

#### Form No.3 (See Rule 5 of Himachal Pradesh Registration of Birth and Death Rule, 2003) STILL BIRTH REPORT FORM STILL BIRTH REPORT

This part to be added to the Still Birth Register	This part to be detached and	iformation sent for statistical processing	In the case of multiple birth, fill in a	
To be filled by the informant		1000 111100 0) 1110 1111011111		
1. Date of Birth (Enter the exact day, Month and year		3.Town or Village of Residence of the mother (Place where		
e.g. 1-1-2000):	the mother usually lives. This	can be different from the place	for each child	
2. Sex: (Enter "male or female"	to where the delivery occur	red. The huse address is not	and write	
(Do not use abbreviation).	required to be entered):		"Twin birth"	
	(a) Name of Town/Village:		or "Triple	
	(b) Is it a Town or Village	: (Tick the appropriate entry	birth" etc.as	
	below):		the case may	
	(1) Town (2) V	village	be, in the	
	(c) Name of District :		remarks	
	(d) Name of State :		column in the	
3. Name of father :	9. Age of the mother : (In con	upleted years at the time of this	box below	
(Full name as usually written)	birth):		left.	
4. Name of mother :	10. Mother's level of education	on:		
(Full name as usually written)	(Enter the completed level of	f education e.g. if studied upto		
5. Permanent Address:	classs VII but passed only clas	ss VI, write class VI).		
6. Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2	11. Type of attention at deliver	ery: (Tick the appropriate entry		
below and give the name of the Hospital/ institution or	below)			
the address of the house where the birth took place)	(1) Institutional-Government	,		
• •	(2) Institution-Private or Non-Government			
(1) Hospital/Institution Name:	(3) Doctor, Nurse or trained midwife			
(2) House Address:	(4) Traditional Birth Attendar	ıt		
	(5) Relative or others			
7. Informant's Name :	12. Duration of pregnancy (in	weeks):		
Address:				
(After completing all columns 1 to 12 Informant will	13. Cause of foetal death (if kr	nown)		
put date and Signature here):				
	(Column to be filled are over 1	Now put signature at left)		
Date:	To be filled by the Registrar.	Registration No:		
Signature or left thumb mark of the informant.	Code No.	Registration Date:		
To be filled by the Registrar	Name:	Date of Birth:		
Registration No.:	District:	Sex: 1. Male 2. Female		
Registration Date:	Tehsil:	Place of Birth:		
Town/Village:	Town/Village:	Hospital/Institution		
District:	Registration Unit	2. House		
Remarks (if any):				
		Name and Signature of the		
Name and Signature of the Registrar	Name and Signature of the Registrar Registrar			

Annexure-D

## Form-5 GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE BIRTH CEERTIFICATE

(See Section 12/17 of the Registration Births and Deths Act, 1969 and Rule 8 of the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003)

This is to ceretify that the following information has been	taken from the original record of	births which is the register for (local
area/local body)	Tehsil	District
Registerd in the register	of State/ Union territory	
Name	Sex	
Date of Birth	Place of Birth	
Name of father	Name of Mother	
Permanent address of parents		
Registration No.		
Date of Registration		
		Signature of the Issuing authority
		Address of the Issueing authority
		Seal
		Scar
_		
DEPARTMENT OF	Form-6 I OF HIMACHAL PRADESH HEALTH & FAMILY WELFARI TH CEERTIFICATE Act, 1969 and Rule 8 of the Himae	
and I	Deaths Rules, 2003)	
This is to ceretify that the following information has been	n taken from the original record of	deaths which is the register for (local
area/local body)	Tehsil	District
Registerd in the register	of State/ Union territory	
Name		
Date of Death		
Name of Mother	Name of Father/Husband	
Permanent address of deceased		
Registration No.  Date of Registration  Date of Issue		

Signature of the Issuing authority

Address of the Issuing authority

Annexure-F

### Form [See section 7 of Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996) MEMOR ANDUM OF MARRIAGE

	MEMORANDUM OF MARRIAGE
2.	Date of marriage.  Place of marriage (with sufficient particulars to locate the place).  (a) Full name of the bridegroom  (b) His age  (c) Usual place of residence  (d) Address  (e) Status of the bridegroom at the time of marriage (whether unmarried/widower/divorced/married, if so, how may wives are alive)  (f) Signatures of the bridegroom, with date
4.	(a) Full name of the bride (b) Her age (c) Usual place of residence (d) Address (e) Status of the bride at the time of marriage (whether un-married/widow/divorced/married, if so, husband is alive). (f) signatures of the bride, with date
5.	<ul> <li>(a) Full name of the father or guardian of the bridegroom</li> <li>(b) His age</li> <li>(c) Usual place of residence</li> <li>(d) Address</li> <li>(e) Signature of the father or guardian of the bridegroom, with date</li> </ul>
6.	<ul> <li>(a) Full name of the father or guardian of the bride</li> <li>(b) His age</li> <li>(c) Usual place of residence</li> <li>(d) Address</li> <li>(e) Signature of the father or guardian of the bride, with date</li> </ul>
7.	(a) Full name of the priest (b) His age (c) Usual; place of residence (d) Address (e) Signatures of the priest, with date.
	Annexure-G Form-III
	Marriage Registration Certificate
	(See rule 7 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996)
	Certified that Sh.         s/o Sh.         r/o.         has           een married to Smt.         r/o.         d/o.           o.         on.         (date) at village.         P.O.

Issued under my hand and seal on.....

Signature of Registrar of Marriages.

Annexure-H

### $B.P.L.\ Certificate$ (This certificate shall be valid for a period of 6 months from the date of issue)

	It is certified that	Sh./Smt/ Kumari	Son/Daughter	/Wife of Sh.
Village	Post Office		. Gram Panchayat	Development Block
Tehsil	District	belong	s to the family of below poverty line	e as per the blow poverty line servey
conducted in	n Himchal Pradesh durin	g the year	and is entered at serial number	This certificate has been
issued on da	ite Month	year	and its details are e	ntered at serial number
of certificate				
	It is also certified that	as per Pariwar Register	there are members	s of this family whose details are as
under:-				
Sr.No.	Names of family	Sex	Relation with head	Age
,	members			
1. 2.				
3.				
(Note: Blan	k coulumns should be cr	ossed so that there car	be no scope for wrong entries.)	
(				
				yat Secretary/ Panchayat Sahayak Panchayat
			Develo	pment Block
			District	·
				Seal
Countersign Pradhan	ned			
	hayat	-		
Developmen	nt Block	-		
Seal				
		<u></u>		
	Appendix-II at	opended to the HP For	rest Produce Transit (Land Routes	Annexure-I s) Rules, 1978
	rappenum 22 m	-	of Export permit	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	lause 9 of manufacture of	fherbs and their export	rules Chamba 1957 Book No	oSerial No
			Forest Division.	o. Schille
	1 Name and a	ldress of persons to wh	om is granted	
		ch issued	_	
				ported
	4. Details of in	anuraciured Potesi Proc	luce to be exported	
Name		De	scription	Quantity or Number
	<ol><li>Whence obt;</li></ol>	ained		
			st Produce is to be carried	
	<ol><li>Name of fire</li></ol>	n to whom sold		
	8 Date of expi			
	8. Date of expi			
	8. Date of expi			Divisional Forest Officers
	8. Date of expi			Divisional Forest Officers, Forest Devision
		ry of permit		Forest Devision

Signature or thumb impression of the person or persons to whom permit was issued

			Annexure-J
Sr. No.	Botanical name of the Minor Forest Produce	Local Name of the item	Export fee (In Rs. Per qtl.)
1.	Alnslea aptera	Sath jnlori	50/-
2	Plcrorhiza Kurroo	Karoo	540/-
3	Jurinea Macrocephala	Dhoop	500/-
4	Angalica Glauca	Chora	125/-
5	Violaodorata	Banafsha	2250/-
6	Valeriann wallichi	Mushk Bala	600/-
7	Thallactrulm SPP	Mamiri	335/-
8	Thymus sophylum	Ban Ajwain	100/-
9	Morchella esculante	Guchchi	10, 000/-
10	Potentilla nepalensis	Dori	40/-
11	Pistachla integ-erina	Kakarsinghi	1000/-
12	Polygonatum verticlliatum	Salm Mishri	1000/-
13	Salvia mooreroftlana	Thuth	180/-
14	Banium Persicum	Kala zira	2000/-( if it is collectd from the Forest)
15	Selinium vaginastrum	Butkesh	400/-
16	Tinospora cordifolia	Gloe	100/-
17	Orchis Latlfolla	Salam Panja	6000/-
18	Valerlana hardwichii	Nihani	600/-
19	Acorus Calamus	Buch	130/-
20	Planus wallichlana	Kail cones	1000/-
21	Adiantum Lanulatum	Dusgtuli	80/-
22	Lichens	Chalora	225/-
23	Ables webblana	Taispatra	85/-
24	Hedychlum acuminatum	Kapper Kuchri	70/-
25	Heraclsum Spp	Patishan roots	25/-
26	Corardiana heterophylla	Bichu Buti	150/-
27	Cedar rosette	Deodar Rosselite	150/-
28	Birch pine	Kush Cones	150/-
29	Cehrella Spp	Bari Phool	50/-
30	Pyrus pashia	Kainth	30/-
31	Colebrookea oppositifolia	Bindi phool	50/-
32	Rhodiadendron SPP	Brass Phool	150/-
33	Coleus Aromaticus	Pthan Bail	30/-
34	Lichens & Mossess	Green Mous Ghass	250/-
35	Hypericum Patulum	Khaarera/ Basanti	250/-
36	Curcuma SPP	Ban Haldi	50/-
37	Juniperus Recurva	Bether Patta	100/-

Annexure-K

#### FORM-F [See clause-10(1) of the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003]

S.No. \_\_\_\_\_

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

#### Application for Consumer Card:

- 1. City/Town/Village/Panchayat.....
- 2. Whether new or duplicate with reasons.....
- 3. Name of house-owner .....
- 6. Full address with occupation & designation.
- 7. Date/reason of arrival of in the distribution area.....
- 8. Total monthly income of family from all sources (with allowances for employees of
- the Govt./Semi-Govt. Departments/Corporations, Boards etc.)

  9. Gas connections: Yes/No Consumer No......DBC.......Yes/No
- 10. Particulars of family members for which consumer card is required:—

Name of the applicant and other Relationship Occupation Age Place and State from member of family living with the with the where came with date applicant. Applicant of departure.

1	2	3	4
1.			
2.			
3			

- 11. I do here by solemnly affirm and state that:
  - (a) the information given in this form is true:
  - (b) Name of the persons mentioned in para-10 are in receipt of the ration from Army, neither names of these persons are entered in any consumer card in India;

- (d) All the persons mentioned in para 10 are presently physically residing with me and the names of these persons are not entered in any consumer cards anywhere in India.

Signature/Thumb impression of the applicant along with date 12. The applicant is the head of family and I know him personally; I hereby certify that the information given above is correct. Signature of the Certifying/ attesting Officer alongwith designation with seal. Receipt of the application form This acknowledgment should be produced on ..... at......when consumer card will be issued if the application is found in order. Signature of receipt. Date ..... Instruction for filling in the application The application should be filled in neatly while applying for a new distribution card. The persons coming from other state/city/town/ village, should attach cancellation/ migration certificate issued by the previous card issuing authority. If the applicant is a Government servant, he should get the application certified by the Head of the office. If the person is (111)not a Government servant, he should get his application attested by a Municipal Commissioner or a Gazetted Officer in the town or any other class of persons specially or generally authorized by the Government. FOR OFFICE USE ONLY Enquiry report of the officer/official:-Enquiry was conducted on the address given by the applicant in para-6 today and the facts mentioned in the application form have been found to be correct. Adults Children Infants Total Members Signature of the Enquiry Officer with Seal. (Specified Authority). Dated ..... Code No. of the Consumer Card...... Serial No Signature of card preparing Officer/ Official. (Specified Authority)".

Dated.....

Annexure-L

#### "FORM-G"

# [See clause-10(2) the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003] GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT CONSUMER CARD INSTRUCTIONS

- In case the Card holder fails to draw quota of specified articles during the month, the same shall stand lapsed.
- 2. The quantum of specified articles can be enhanced, reduced by the Government from time to time.
- The Consumer Card holder shall not keep or allow to keep his consumer card with the fair price shop holder, as, by doing so the same can be misused.
- 4. The Consumer Card holder shall ensure the entry of the specified articles in the consumer card at the time of issue of the same.
- The Consumer card in respect of a family shall be issued in the name of head of the family only.
- It may be ensured that only those members of family are mentioned in the application form who are living presently/permanently with him.
- 7. When a card holder leaves the distribution area he/ she shall deposit the card in the office of the specified authority concerned and to obtain necessary surrender certificate to facilitate issuance of card at the new place.
- It is necessary to intimate about the increase or decrease in the number of family members at once to the specified authority
  who has issued the Consumer Card.
- The only person whose name is entered in the consumer card is entitled to draw the specified articles and the card is valid only for the persons mentioned therein.

Note.—Non-compliance of the above instructions may rendered the fair price shop holder/card holder liable for action under the Essential Commodities Act and Departmental Orders/Rules;

#### COVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

		Spe	cified Articles C	onsumer Card
City/Town/Panchay	at			
1. Ward/Name of th	e village			
2. Code No		Serial No	0	
3. Name of the Head	d of the family			
4. Father/Husband				
5. Full address				
6				
Number of family	Adults	Children	Infants	Total members
7. Gas Consumer No	0	Single/Double Cy	dinder.	
8 Date from which	the card is vali	d for drawing spec	cified articles	

Signature of the Specified Authority with seal.

Signature or Thumb
Impression of
Consumer cardholder.
Dated

	-					
Registration N	o. of Card					
						h seal of the Depot / r Price Shop holder.
Particulars of I	Family members:—					
Sl. No.		Name	Δ	ge	Re	lationship with the
31. 140.		Ivanic	A	gc	Re	head of family
Total family m	nembers:—					
				Sig	nature with seal of	Specified Authority
				5.6		
					Dated	
Countersigned	l by			C	-i C - 1 4- 14i4i4	d. C M.
				Spe	cijiea Authority wii	h SealAnnexure-M
			FORM-I			Annexure-M
	(se	e rule 4 of Himachal	Pradesh Public Servi	ces Guarantee Act,	2011)	
			NOTICE BOARD			
Name of the O	Office					
g						
Sr.No.	Name of the	Documents to be	Stipulated time	Name and	Stipulated time	Name and
	service/ Public Service.	attached with the application.	limit for providing	address of the first appellate	limit for disposal of first	address of the
			service (s).	authority.	appeal.	appellate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	authority.
1.						
2.						
3.						
J.						
		erson authorized to re	ceive application (s)			
	ice of the designated					
	_	ppeal,				
. ,		d appeal,				
Note: Please	obtain the acknowled	gement of your applic	cation			
						Annexure-N
	-		FORM-II	i G A	2011)	
	(s	ee rule 9 of Himacha	i Pradesh Public Sei	vices Guarantee A	ict, 2011)	
Form of regist	ter to be maintained	by the designated Of	ficer			
_		_				
Year						
			L au - : - ::			
Sr.No.	Name and address	s of Service fo	er – Stipulated fi	ıme ∣ Appli	cation D	ate of Order

Sr.No.	Name and address of the appellant.	Service for which application has been received.	Stipulated time limit for providing service.	Application accepted/rejected.	Date of Order passed and its details
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					

उपाबन्ध–क

#### प्ररूप संख्या : 1 (हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के नियम 5 देखें) जन्म सूचना प्रपत्र जन्म रिपोर्ट

विधिक सूचना	सांख्यिकी सूचना		गुणक एक से
यह भाग जन्म रजिस्टर से जोड़ा जाए	यह भाग अलग किया जाए और सांख्यिकी		अधिक की दशा
	प्रसंस्करण को भेजा जाए		के लिए पृथक
इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	प्ररूप और
	9.माता के निवास का नगर या ग्रामः	15. माता की आयुः (सम्पूरित वर्षों में)	यथास्थिति ्
1 जन्म की तारीख : (सडी दिन, मास	(स्थान जहां माता प्रायः रहती है। यह उस स्थान,		''जुड़वा ् बच्चे''
और वर्ष लिखे शिशु का जन्म जैसे कि	जहां प्रसूति हुई है, से भिन्न हो सकता है, घर का		या ''तिहरे बच्चे''
1-1-2000)	पता देना अपेक्षित नहीं है।)	समय आयु दर्ज की जाए।	निम्न बाक्स में
			टिप्पण स्तम्भ में
	(क) नगर / ग्राम का नाम :	16 माता की आयु : (इस जन्म के	लिखें।
2. लिंगः (''पुरूष'' या ''स्त्री'' लिखें,	(ख) क्या यह एक नगर या ग्राम है : (निम्न उचित	समय पर (सम्पूरित वर्षो में):	
संक्षेपण का प्रयोग न करें)	प्रविष्टि पर निशान लगाएं		
	1. नगर 2. ग्राम		
		17 माता से जीवित जन्मे शिष्टुओं की	
3. शिशु का नाम, यदि कोई है:	(क) जिला का नामः	संख्या इसमें यह शिशु भी सम्मिलित है:	
(यदि नाम नहीं रखा है, तो खाली छोड़ें)		(जीवित जन्में शिशुओं में पूर्वात्तर	
		विवाडों से जन्मे, यदि कोई डो, भी	
		सम्मिलित है)	
	(A)	18 प्रसूति / प्रसव पर अवधान का	
4. पिता का नामः (पूरा नाम जैसे प्राय	(घ) राज्य का नामः	प्रकारः (निम्न उचित प्रविष्टि पर निशान	
लिखा जाता है)		लगाएँ) संस्थागत :	
		संस्थागतः 1. सरकार 2. निजी / गैर / सरकारी	
	10 कुटुम्ब का धर्मः (निम्न उचित प्रविष्टि पर		
5. माता का नामः पूरा नाम जैसे प्राय	ार्ग कुटुन्य का बनः (मिन्न डावरा प्राचान्ट पर निशान लगाएँ)	બાવાસાય-	
है. नाता की नान. यूरा नान जस प्राव सिखा जाता है)	1. हिन्दु 2. मुस्लिम 3. ईसाई 4. सिक्ख 5. कोई	3. डॉक्टर, नर्स प्रशिक्षित दाई	
reign silen s)	अन्य धर्म (धर्म का नाम लिखें)	4. परम्परागत जन्म अनुवर्ती	
	जिल्द वर्ग (वर्ग वर्ग नाम स्थित)	5. रिश्तेदार या अन्य	
	11. पिता का शिक्षा स्तरः (शिक्षा का पूर्ण स्तर दर्ज		
6. स्थायी पता :	करें उदाहरणार्थ यदि सातवीं कक्षा तक अध्ययन		
A. 1-11-11 3311 .	किया है, किन्तु केवल छठी कक्षा पास की है, छठी	33. 2.3. 33. 13. 13. 13. 13.	
	कक्षा लिखें)	1.साधारण / सामान्य 2. सिजेरियन 3.	

		फार्सेप्स / वैक्यूम	
7. जन्म स्थानः (निम्न समुचित प्रविष्टि 1 या २ पर निशान लगाएं इस्पताल / संस्थान का नाम या घर का पता दें, जहां जन्म हुआ है)	12. माता का शिक्षा स्तरः (शिक्षा का सम्पूरित स्तर दर्ज करें उदाहरणार्थ यदि सातवीं कक्षा तक अध्ययन किया है किन्त केवल छठी कक्षा पास की है, तो छठी कक्षा लिखें)		
1. इस्पताल / संस्थान नाम : 2. घर : पता :			
8. सूचना देने वाले का नाम : पता:	13 पिता का व्यवसायः   (यदि कोई व्यवसाय नहीं है तो शून्य लिखें)	21 प्रसव की अवधि : (सप्ताह में)	
(1 से 21 तक सम्पूर्ण स्तम्भों को पूरा करने के पश्चात, इत्तिला देने वाला यहां	14. माता का व्यवसायः (यदि कोई व्यवसाय नहीं है तो शून्य लिखें)	भरे जाने वाले स्तम्भ यदि पूरे कर दिए है तां यहां हस्ताक्षर करें।	
तारीख और हस्ताक्षर करेगा)			
रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा	नाम रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा	रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण तारीखः	
रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण तारीख	कोड संख्या जिलाः	जन्म की तारीखः	
नगर / ग्राम / जिला : टिप्पणियां (यदि कोई हो)	तहसील:	लिंगः 1. पुरूष 2. स्त्री जन्म स्थानः हस्पताल/संस्थान/घर	
	नगर/ग्राम :		
रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर	रजिस्ट्रीकरण ईकाई:	रजिस्ट्रार का नाम और डस्ताक्षर	

उपाबन्ध —ख

#### प्ररूप संख्या-2 (हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के नियम 5 देखें ) मृत्यु सूचना प्ररूप मृत्यु रिपोर्ट

विधिक सूचना	सांख्यिकी सूचना		गुणक एक
यह भाग मृत्यु रजिस्टर से जोड़ा जाए	यह भाग अलग किया जाए और सांख्यिकी प्रसंस्करण		से अधिक
	को भेजा जाए		की दशा के
इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	लिए पृथक
	<ol> <li>मृतक के निवास का नगर या ग्राम :</li> </ol>	15. स्त्री की मृत्यु की दशा में क्या मृत्यु	प्ररूप और
1 मृत्यु की तारीख ़ (सही दिन, मास और वर्ष लिखे	(स्थान जहां मृतक प्रायः रहता था। यह उस स्थान	जब वह गर्भवती, प्रसव के समय, या	यथास्थिति
जिस दिन मृत्यु हुई जैसे कि 1–1–2000)	से भिन्न हो सकता है जहां मृत्यु हुई है। घर का	गर्भ—धारण के अवसान के पश्चात् 6	''जुडवा
	पता लिखा जाना अपेक्षित नहीं है।)	सप्ताह के भीतर हुई:	बच्चे'' या
		1) जब गर्भवती थी 2) प्रस्व के समय	''तिहरे बच्चे''
		3) गर्भघारण के अवसान के 6 सप्ताह	निम्न बाक्स
		भीतर	में टिप्पण
	(क) नगर / ग्राम का नाम :	16 यदि घूम्रपान किया करता था तो	स्तम्भ में
2 मृतक का नाम:	(ख) क्या यह एक नगर या ग्राम है : (निम्न उचित	कितने समय से ?	लिखें ।
(पूरा नाम जैसे प्रायः लिखा जाता है)	प्रविष्टि पर निशानि लगाए)		
	1. नगर 2. ग्राम		
	(ग) जिला का नामः	17 यदि किसी रूप में तम्बाकू चबाया	
3 पिता / पति का नाम :		करता था । तो कितने वर्षा से ?	
(पूरा नाम जैसे प्रायः लिखा जात है)	(घ) राज्य का नामः		
4. मृतक का लिंगः	10 धर्मः (निम्न उचित प्रविध्टि पर निशान लगाएं)	18 यदि किसी रूप में सुपारी चबाया	
("पुरुष" या "स्त्री" लिखें, संक्षेपाक्षर का प्रयोग न	1. हिन्दु 2. मुस्लिम 3. ईसाई 4. सिक्ख	करता था । (जिसमें पान मसाला भी	
करें)	5. कोई अन्य धर्म (धर्म का नाम लिखें)	है) तो कितने वर्ष से ?	
5. मृतक की आयु: (यदि मृतक एक वर्ष की आयु से		19 यदि मद्यपान किया करता था तो कितने वर्षों से ?	
ऊपर है, तो पूर्ण वर्षों में आयु दें। (यदि मृतक एक वर्ष		कियन वया स इ	
से कम आयु का या तो महीनों में आयु दे, और यदि	(यदि कोई उपजीविका नहीं हो, तो 'शून्य लिखें')		
एक महीने से कम का हो, तो पूरे किए दिनों की			
संख्या में आयु दें और यदि एक दिन से कम हो तो			
घण्टों में आयु दें)	40 मना से गर्न गान की गर्न निकित्सम का गुरुप		
	12 मृत्यु से पूर्व प्राप्त की गई चिकित्सा का प्रकार		
६. स्थायी पता :	(निम्न उचित प्रविष्टि पर निशान लगाएं) 1. संस्थागत		
	1. 30381.171		

		T T
	2. संस्था से आय चिकित्सीय उपचार	
	3. कोई चिकित्सीय उपचार नहीं	
7. मृत्यु का स्थानः (निम्न उचित प्रविष्टि 1, 2 या 3 पर		
निशान लगाएं इस्पताल / संस्थान का नाम या घर का	किया था ?	
पता दें, जहां मृत्यु हुई है यदि कोई अन्य स्थान है तो	(निम्न उचित प्रविष्टि पर निशान लगाएं)	
अवस्थिति दें )		
,	1. हां 2. नहीं	
1. हस्पताल / संस्थाः नाम :		
2. घर : पता :		
3. अन्य स्थानः		
8. सचना देने वाले का नाम :	14. बिमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारणः	अब बायीं ओर इस्ताक्षर करें
पताः	(समस्त मौतों का विचार किए बिना चाहे चिकित्सक	
	रूप में प्रमाणित है या नहीं)	
(1 से 19 पूर्ण करने के पश्चात, इत्तिला देने वाला		
तारीख और इस्ताक्षर करेगा)		
रजिस्टार द्वारा भरा जाएगा	रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा	रजिस्ट्रीकरण संख्या :
dought Bid dd out.	कोड संख्या	रजिस्ट्रीकरण तारीखः
रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण तारीख	4/10 4/04	COLEGIAL LANGE
रजिस्ट्रीकरण ईकाई :	नाम :	
	717 -	ner et entre
नगर/ग्राम जिला:		मृत्यु की तारीख
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	तहसीलः	लिंगः १.पुक्तष २.स्त्री
टिप्पणियां (यदि कोई हो)		आयुः वर्ष/महीना/दिन/घण्टे
	नगर / ग्रामः	
		मृत्यु का स्थानः । अस्पताल / संस्थान
रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर	राजस्टीकरण इंकाई :	2.घर
		3. अन्य स्थान
		रजिस्टार का नाम और इस्ताक्षर

उपादन्ध –ग

#### प्ररूप संख्या-3 (हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रकरण नियम, 2003 के नियम 5 देखें) मृत—जन्म रिपोर्ट

	मृत—जन्म रिपाट	
विधिक सूचना	सांख्यिकी सूचना	गुणक एक से
यह भाग मृत– जन्म रजिस्टर से जोड़ा जाए	यह भाग अलग किया जाए और सांख्यिकी प्रसंस्करण को भेजा जाए	अधिक की
इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जाए	दशा के लिए
1 जन्म की तारीख : (सही दिन, मास और वर्ष लिखे जैसे कि	८ माता के निवास का नगर या ग्राम :	पृथक प्ररूप
1-1-2000)	(यह स्थान जहां माता प्रायः रहती है । यह उस स्थान से मिन्न हो सकता	और उथारिधति
2. लिंगः ("पुरूष" या "स्त्री" लिखें, संक्षेपण का प्रयोग न करें)	है जहां प्रसव हुआ है। घर का पता लिखा जाना अपेक्षित नहीं है।)	''जुड़वा बच्चे''
3. पिता का नामः	क) नगर/ ग्राम का नाम :	या "तिहरे
(पूरा नाम जैसे प्राच लिखा जाता है)	(ख) क्या यह एक नगर या ग्राम है : (निन्न सडी प्रविष्टि पर निशान	बच्चे" निम्न
,	लगाएं) 1. नगर 2. ग्राम	बावस में
	(ग) जिला का नाम:	टिप्पण में
	(घ) राज्य का नामः	स्तम्भ लिखें।
4. माता का नमः	9. इस जन्म के समय माता की आयु	
(पूरा नाम जैसे प्राच लिखा जाता है)	(पूरे किए वर्षीं में)	
	10. माता की शिक्षा का स्तर : (पूर्ण की गई शिक्षा का स्तर जैसे कि यदि	
५. स्थायी पता :	सातवीं श्रेणी तक अध्ययन किया है, किन्तु छठी श्रेगी ही पास की है, तो	
	छटी श्रेणी लिखें)	
<ol> <li>जन्म स्थानः (सडी प्रविष्टि पर निशान लगाएं डस्प्रताल / संस्था</li> </ol>	11 प्रसृति / प्रसव पर अवधान का प्रकार : (निम्न सही प्रविष्टि पर निशान	
का नाम या घर का पता दें, जड़ां जन्म डुआ डै)	लनाए)	
	1. संस्थागत—सरकारी	
1. हरपताल / संस्थान नाम :	2. संस्थागत—निजी या गैर सरकारी	
2. घर : पता :	3. डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई	
	4. परम्परागत जन्म परिचारक	
	5. रिश्तेदार या अ <del>न</del> ्य	
7. इत्तिला देने वाले का नाम :	12 गर्भावस्था की कालावधि : (सप्ताह में) :	
पताः		
	१३ भ्रुण नृत्यु का कारण : (यदि ज्ञात हो) :	
(1 रो 12 राग्पूर्ण खण्डों को पूरा करने के पश्चात, इत्तिला देने		
वाला यहां तारीख और हस्ताक्षर करेगा)		
· ·	भरे जाने वाले स्तान्भ पूरे कर दिए गए डै	
	अब हरताक्षर यहां करें	
तारीखः इतिला देने वाले के हस्ताक्षर		
और बायां अंगूठा निशान		
रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा	नाम रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाना है	

	कोड संख्या
रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण तारीखः	
रजिस्टीकरण ईकाई :	जिलाः रजिस्ट्रीकरण संख्या :
नगर/ग्राम/जिला :	तहसीलः रजिस्ट्रीकरण तारीखः
	जन्म की तारीखः
टिप्पणियां (यदि कोई हो)	लिंग : 1. स्त्री 2. पुरूष
	जन्म का स्थान :
	हस्यताल / संस्थान / घर
रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर	
	रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

उपाबन्ध –घ

#### प्ररूप संख्या 5 हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1989 की धारा 12/17 और (हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) जन्म प्रमाण पत्र

थानाय क्षेत्र)		तहसील	
*			ार्ड) से ली गई है।
īम			
नंग			
न्म की तारीख			
ाता का नाम			
ाता का नाम			
ाता पिता का स्थायी पता			
जेस्ट्रीकरण संख्या			
जेस्ट्रीकरण की तारीख			
_			
ारीख :	-		
		प्रमाणपत्र जारी :	करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
			मोडर
	-		उपाबन्ध —र
		प्ररूप संख्या 6	
	स्वास्थ्य	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग	
	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक	माचल प्रदेश सरकार	
यह प्रमाणित किया जाता है f	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म्	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र	
	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् कि निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और मृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें)	
	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् कि निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	हमाचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	
तहसील नाम	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	हमाचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।
तहसील नाम	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।
तहसील नाम लिंग	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।
तहसील नाम लिंग पिता / पति का नाम मृत्यु की तारीख मृत्यु का स्थान :	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।
तहसील नाम लिंग पिता / पित का नाम मृत्यु की तारीख	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।
तहसील नाम लिंग पिता / पति का नाम मृत्यु की तारीख मृत्यु का स्थान :	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।
तहसील नाम लिंग पिता / पिते का नाम मृत्यु की तारीख मृत्यु का स्थान : मृत का स्थायी पता	स्वास्थ्य (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीक (डिमाचल प्रदेश जन्म एवं म् के निम्न सूचना, मृत्यु के मूल अभि	माचल प्रदेश सरकार एवं परिवार कल्याण विभाग रण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और वृत्यु पंजिकरण नियम, 2003 के नियम 8 देखें) मृत्यु प्रमाण पत्र लेख, से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)	के लिए रजिस्टर है।

रजिस्टर में यथा प्रविष्ट किए गए मौत के कारण के विषय में कोई भी प्रकटन नहीं दिया जाएगा। धारा 17 (1) का परन्तुक देखें।

उपाबन्ध –च

#### प्ररूप (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1996 की धारा 7 देखें)

#### विवाह का ज्ञापन

1.	विवाह की तारीख।
2.	विवाह का स्थान (स्थान पता लगाने के लिए पर्याप्त विशिष्टियों सहित)।
3.	(क) वर का पूरा नाम।
	(ख) उसकी आयु।
	(ग) आवास का सामान्य स्थान।
	(घ) पता।
	(ङ) विवाह के समय वर की हैसियत (वया अविवाहित / विधुर / विच्छिन विवाह / विवाहित, यदि ऐसा है, कितनी पत्नियां जीवित है)
	(च) तारीख सहित, वर के हस्ताक्षर।
4.	(क) वधू का पूरा नाम।
	(ख) उसकी आयु।
	(ग) आवास का सामान्य स्थान।
	(घ) पता।
	(ङ) विवाह के समय वधू की हैसियत (वया अविवाहित / विधवा / विच्छिन विवाह / विवाहित, यदि ऐसा है, पति जीवित है)।
	(च) तारीख सहित, वधू के हस्ताक्षर।
5.	(क) वर के पिता या संरक्षक का पूरा नाम।
	(ख) उसकी आयु।
	(ग) आवास का सामान्य स्थान।
	(घ) पता।
	(ङ) तारीख् सहित, वर के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर।
6.	(क) वधू के पिता या संरक्षक का पूरा नाम।
	(অ) उसकी आयु।
	(ग) आवास का सामान्य स्थान।
	(घ) पता।
	(ङ) तारीख सहित, वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर।
7.	(क) पुरोहित का पूरा नाम।
	(ख) उसकी आयु।
	(ग) आवास का सामान्य स्थान।
	(घ) पता।
	(दः) तार्गीरव सदित प्रगेहित के हस्ताक्षर।

उपाबन्ध –छ

#### प्ररूप—III विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 का नियम—7 देखें)

	प्रमाणित किया जाता है कि श्री /	पुत्र श्री	निवासी	जिसका विवाह,
श्रीमती	पुत्री श्री	निवासी	से	तारीख) को ग्राम
ভা০	तहसील	, जिला राज्य	में हुआ और यह	विवाह तारीख
को रजिस्ट्रीक	रण संख्या के ३	प्रधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।		
		तारीख	को मेरे हस्ताक्षर,	/मोहर द्वारा जारी किया गया।
			विवाह रजिस्ट्रार के हस्त	ाक्षर ।

उपाबन्ध –ज

#### बी0पी0एल0 प्रमाण—पत्र (यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से छः मास की अवधि के लिए वैध होगा)

	प्रमाणित किया जाता है	कि श्री/श्रीमती/क्	रुमारी	पुत्र / पुत्री / पत्नी	श्री	गॉव
डाकघर	ग्राम पंचायत	विकास	खण्ड	तहसील	जिला	हिमाचल प्रदेश
	त्र० सर्वेक्षण वर्ष के					
	ो०एल० सूची के क्रमांक	ŭ.				
	का विवरण प्रमाण पत्र रजिस्ट					
( -II - Q ( I	यह भी प्रमाणित किया			ट्रज्य गणिताच् को	- ਸ਼ੁਰੂਹਰ ਵੈ	जिनका विवरणा
निम्ना प्रक	गर से है:	जाता ६ ।यः यास्या	र राजस्टर अनुसार	इस पारवार के	11474 6	ाजापम विवरण
क्र0सं0	परिवार सदस्यों के नाम	लिंग	मुखिया के र	प्ताथ सम्बन्ध	आ	यु
1. 2.						
3.						
प्रतिहस्ता प्रधान				ų	चायत सचिव/ प ग्राम पंचायत विकास खण्ड	
•	ਧਰ ਭਾਪਤ हित)	_				उपाबन्ध –झ
	हिमाचल प्रदेश र	वन उत्पाद ट्रांसिट (लैप	ण्ड रूट्स) नियम, 1978	3 के साथ संलग्न पर् <mark>ति</mark>	शेष्ट–II	
		निर्यात अनुः	ज्ञा—पत्र (परमिट) का प्र	रूप		
जडी—बूटियों वन मण्डल	के विनिर्माण का खण्ड 9 से विनिर्मित वन	और उनके निर्यात उत्पाद के निर्यात के वि	नियम चम्बा १९५७ प्रेए पास।	बुक नं0	कम संर	ष्या
	<ol> <li>व्यवितयों का नाम और पत</li> <li>जारी िक जाने की तारीख</li> <li>चैक पोस्ट जिसके माध्यम</li> <li>निर्यातित िकए जाने वाले ि</li> </ol>	ा से विनिर्मित वन उत्पाद	 निर्यातित किया जाए	П		
<u>नाम</u>		<u>[d</u>	वरण		मात्रा या सख्या	
	कब प्राप्त किया      स्थान जहां पर विनिर्मित व      फर्म का नाम जिसे बेघा ज      परमिट (अनुज्ञा—पत्र) के अ	न उत्पाद ले जाना है . ाना है				
	के प्रभारी व्यक्ति/ व्यक्तिया					वेकारी
के नाम और	विवरण				वन मण्डल	

व्यवित / व्यवितयों के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान जिन्हें परमिट जारी किया गया

क्र सं	लघु वन उत्पाद का वनस्पति नाम	वस्तु की स्थानीय नाम	उपाबन्ध —ञ निर्यात शुल्क (रूपये प्रति क्वींटल)
1		सट जनरोली	50/-
2		काबु	540 / -
3		धूप	500 / -
4		चोरा	125/-
5		बनफशा	2250/-
6		मुश्क बाला	600 /-
7		ममीरी	335/-
8		बन अज्वायन	100/-
9		गुच्छी	10000/-
10		<b>डो</b> री	40/-
11		ककड़िसंघी	1000/-
12		राालग गिश्री	1000 /
13		ਰੂਰ	180 / -
14		काला जीरा	2000 / — (यदि यह वन से एकत्रित किया गया है)
15		बटकेश	400 / -
16		गलोए	100/-
17		सालम पजा	6000/-
18		निहानी	600 / -
19		बुच	130 / -
20		कायल कोन	1000/-
21		दसगटुली	80/-
22		चलोरा	225/-
23		तेजपत्र	85/-
24		कप्पर कुछडी	70/-
25		पतिशन रूटस	25/-
26		<u> વિચ્છુ</u> હુટી	150/-
27		देयोदार रोजलाईट	150/-
28		कुश कोन	150 / -
29		बरी फूल	50/-
30		कैन्ध	30/-
31		बिंदी फूल	50/-
32		ब्रास फूल	150/-
33		पठान बेल	30/-
34		ग्रीन मौस घास	250 / -
35		खरेड़ा / बसन्ती	250 / -
36		बन हल्दी	50/-
37		बेटर पत्ता	100/-

शहमाचल प्रदेश वि	वानादष्ट वस्तु (वित	रण का ।वानयमन) क्रम संख्या		গ ৰেণ্ড—10 (2) বৈৰা}	
	ारिक आपूर्ति एवं उ	उपभोक्ता मामले वि		देश सरकार ।	
उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदनः					
1. शहर / नगर / गांव / पंचायत					
२ वया नया या द्विप्रतीक है; (कारणों सहित) 3. गृह स्वामी का नाम					
४. गृह का नाम, (गृह संख्या सहित)					
5. आवेदक का नामपिता / पर्र	त				
<ol> <li>व्यवसाय और पदनाम सिंहत पूर्ण पता</li> </ol>					
7. वितरण क्षेत्र में पहुचने की तारीख/कारण					
<ol> <li>समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की कुल मासिक</li> </ol>	आयः (सरकारी / अ	र्धसरकारी विभागों/	′ निगमों बोर्डों इ	इत्यादि के कर्मचारियों के लिये	भत्तों सहित)
<ol> <li>गैस कुनैव्शन:—हां / नहीं उपभोवता संख्या</li> </ol>	r्डी.वी	ो.सी. ्हां /्र नहीं			
10. कटुम्ब के सदस्यों की सख्याः, जिनके लि	यं उपभावता कार्ड	अपक्षित हैं:			
आवेदक का नाम और आवेदक के साथ	आवेदक के	व्यवसाय	आयु	स्थान और राज्य जहां से ३	आये हैं, प्रस्थान
रहने वाले कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के नाम	साथ सम्बन्ध		Ü	की तारीख सहि	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
11. मैं एतद्धारा सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करत	ਜੁਵਾਂਨਿ				
(क) इस प्ररूप में दी गई सूचना सत्य है,	11 & 147				
(ख) पैरा—10 में वर्णित कोई भी व्यक्ति सेना	से राशन प्राप्त नह	डीं कर रहा है. न	डी भारत में किर	नी अन्य राशन कार्ड में दन व्य	प्रवित्तयों के नाम दर्ज
किये गये हैं।				*	
(ग) पैरा-10 में वर्णित कोई व्यक्ति किसी हो	स्टल / वोर्डिंग हाउर	स से नियमित आह	र प्राप्त नहीं क	र रहा है, न ही उनके नाम वो	र्डिंग हाउस के लिये
जारी किये गये राशन कार्ड में दर्ज किये गर	ये हैं। मेरे या मेरे व	कुटुम्ब के सदस्यों '	के पास गैस कु	नैवशन सख्या एट	n∕दो सिलैण्डर क
है।		\ a- a	~ ` `	V 0 0 0 0	
<ul><li>(घ) पैरा–10 में वर्णित समस्त व्यवित वर्तमान</li></ul>	मि वस्तुतः मेरे सा	थ रह रहे हैं और	इन व्यक्तियों व	नाम भारत में कड़ी भी किस	ो उपभोवता कार्ड म
दर्जनहीं है			=		on /onia Amo
		- \.		ारीख सहित आवेदक के हस्ता	
12. आवेदक कुटुम्ब का मुखिया है और मैं उसे	व्यक्तिगत रूप से	जानता हू में एतद	द्वारा प्रमाणित व	रता हूं कि उपयुक्त दी गई स्	(चना सही है।
प्रमाणन/अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी के	ਹਟਜ਼ਾਸ ਨੀ ਸਟਾ	ग्रहित हस्ताध्य ।			
anning sidanii a aren diei sidanei ar		विदन प्ररूप की रस	ीद		
कम संख्याःआवेदक का नाम					
यह पावतीपर	तुत की जायेगी जब	व उपभोक्ता कार्ड र	गरी किया जाये	गायदि आवेदन ठी	क पाया जाता है ।
				तारीख प्राप	
	आहेट	न भरने के लिये 3	जिल् <u>य</u> ा	חוצושוע	വധവ ന ഉ⊀വലു≀ I
	GIV	(1 4(1 4) 1614 G	13441		
(1) आवेदन साफ साफ भरा जाना चाहिये। ज					
(2) अन्य राज्य/शहर/नगर्/ग्राम से आने व	गले व्यक्तियों को प्	पूर्व कार्ड जारी कर	ने वाले प्राधिकारी	ो द्वारा जारी किया गया रद्दव	<sub>करण ∕</sub> प्रवास प्रमाण
गत्र सलंग्न किया जाना चाहिए।			_		
(3) यदि आवेदक ूसरकारी कर्मचारी है, तो वः	इ आवेदन को कार	गेलय के प्रमुख द्वा	रा प्रमाणित कर	प्राएगा। यदि व्यक्ति सरकारी व	क्रमेचारी नहीं है तो
वह आवेदन को निगमायुक्त या नगर में राजा	गंत्रेत अधिकारी अश	थवा विशेषतया या	साधारणतया सर	कार द्वारा प्राधिकृत किसी अन	य वर्ग के व्यक्तिया
से प्रामाणित करवायेगा।	केरल	कार्यालय के प्रयोग	ा <del>देत</del> ।		
	क्ष	परापालय पर प्रया	1 9/1		
अधिकारी / कर्मचारी की जाचं रिपोर्ट:—					
आवेदक द्वारा पैरा—६ में दिये गये पते पर आज	न जाचं पड़ताल की	ो गई थी और आवे	दन प्ररूप में विष	र्गत तथ्य सही पाये गये।	
व्यस्क	बालक	शिशु		ठुल सदस्य	
				जाचं अधिकारी के ह (वि	इस्ताक्षर मुद्रा सहित निर्दिष्ट प्राधिकारी)।

उपभोवता कार्ड की कार्ड सख्या ...... क्रम सख्या ..... कार्ड बनाने वाला अधिकारी / कर्मचारी (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी) । तारीख.....

उपाबन्ध–ढ

#### प्ररूप 'छ' [िहमायल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2033 का खण्ड—10 (2) देखें हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभावेता मामले विभाग उपभोक्ता कार्ड अनुदेश

- 1. कार्ड घरक के मास के दौरान विनिर्दिष्ट वस्तुओं का कोटा लेने में असफल होने की दशा में कोटा व्ययगत हो जायेगा।
- विनिर्दिष्ट वस्तुओं की मात्रा सरकार द्वारा समय—समय पर बढ़ाई / कम की जा सकेगी।
- उपभोवता कार्ड धारक अपना उपभोवता कार्ड उचित मूल्य की दुकान के धारक के पास नहीं रखेगा या रखने की अनुमित नहीं देगा, ऐसा करने से उसका दुरूपयोग हो सकता है।
- उपभोवता कार्ड धारक विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उसे जारी करते समय उपभावेता कार्ड में उसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा ।
- कुटुम्ब के बारे में उपभोक्ता कार्ड केवल कुटुम्ब के मुखिया के नाम में जारी किया जायेगा।
- 6. यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदन में केवल लुटुम्ब के वही सदस्य वर्णित किये जायें जो वर्तमान में स्थाई रूप में उसके साथ रह रहे हों।
- जब कार्ड धारक वितरण क्षेत्र को छोड़ते हैं तो वह कार्ड को सम्बद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा और नये स्थान पर कार्ड प्राप्त करने को सुकर बनाने के लिये आवश्यक अभ्यर्पण प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करेगा।
- विनिर्दिण्ट प्राधिकारी जिसने उपभोवता कार्ड जारी किया है को कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या में बढ़ने व कम होने के बारे में तुरन्त सूचित करना आवश्यक है।
- विनिर्दिष्ट वस्तुयें लेने के लिये केवल वही व्यक्ति हकदार होगा जिसका नाम उपभोवता कार्ड में दर्ज किया गया है और कार्ड केवल उसमें वर्णित व्यक्तियों के लिये ही विधिमान्य है।

टिप्पणी.—-उपर्युवत अनुदेशों का अनुपालन उचित मूल्य की दुकान के धारक / कार्ड धारक को आवश्यक वस्तु अधिनियम और विभागीय आदेशों / नियमों के अधीन कार्रवाई के लिये उत्तरदायी बना सकेगा।

नेयमों के अधीन कारेवाई के लिये उत्तरदा	यी बना सकेगा।			
	 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट दस्तुओं व			П
1. शहर/नगर/पचांयतवार्ड/ग्राग 2. कोड संख्याकम संख्याः	न का नाम			
3. कुटुम्ब के मुखिया का नाम 4. पिता / पति 5. पूरा पता 3. कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या	व्यस्क	बालक	<u>খিখ</u> ়	क्ल
<ol> <li>गैंस उपभोवता संख्याः प</li> <li>तारीख जिससे विनिर्दिष्ट वस्तुएं देने के</li> </ol>	क सिलैण्डर/दो सिलैण्डर। लिये कार्ड विधिमान्य है।		विनिर्दिष्टः अधेकारी के हस्तास्क्षर तारीख——	मुद्रा के साथ।
उपःगोवता कार्ड धारक के हरताक्षर या अगूंर गारीख डिपो / उचित मूल्य की दुकान का नाम				
डेपो की कोड संख्याकार्ड की र	जिस्ट्रीठरण की संख्या		डेपो/उहित मूला की दुकान के भार	क के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ।
गृटुम्ब के सदस्यों की विशिष्टियाः — कृम संख्याः	नाम	आयु	कुटुम्ब के मुखिया के	साथ सम्बन्ध
कुटुम्ब के कुल सदस्य≔			विनिर्दिष्ट प्राधिका	री के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ।
			तारीख	T

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर मुद्रा के साथ।

## प्रपत्र—I (हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारण्टी नियम, २०११ का नियम ४ देखें)

#### नोटिस बोर्ड

			111011 410			
कार्यालय व	का नाम					
पदाभिडित	अधिकारी का नाम	***************************************				
पदनाम						
क्रम संख्या	सेवा/लोक सेवा का नाम	प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	सेवा (सेवाओं) को उपलब्ध करवाने के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम	प्रथम अपील के निपटारे के लिए नियत समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	हित अधिकारी के कार्यालय <del>मे</del>				गौर पदनाम	
(2) પ્રથમ ર	अपील दाखिल करने के लिए	नियत समय सीमा		••••		
(3) द्वितीय	अपील दाखिल करने के लि	ए नियत समय सीमा				
टिप्पणीः वृ	एया अपने प्रार्थना पत्र की पा	वती प्राप्त करें।				
			uua_III			उपाबन्ध—'ढ

### प्रपत्र—III (हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारण्टी नियम, 2011 का नियम 9 देखें)

पदाभिष्ठित अधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

	का	कार्यालय	
<del></del>			

क्रम संख्या	अपील कर्ता का नाम और पता	सेवा जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है	सेवा उपलब्ध करवाने के लिए नियत समय सीमा	प्रार्थना पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत	आदेश पारित करने की तारीख और उसका ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					